झारखण्ड सरकार

JHARKHAND SKILL DEVELOPMENT MISSION

(An Autonomous Institution under the Deptt. of Labor Department, Training & Skill Development)

230-B, Road No.- 2, Ashok Nagar, Ranchi – 834002

Email ID - skilljharkhand@gmail.com Website- www.skilljharkhand.org

Phone No. – 0651- 6455404/05, 2244601/602

पत्रांक 569 **राँची / दिनांक** 06.8.2015

कुलपति कार्यालय झा० के० वि०
Vice Chancellor's Office, CUJ
क्रम सं०/Sl. No. 2036/04.09.15

प्रेषक,

आर. पी. सिंह,
भा.व.से.
मिशन निदेशक–सह–कार्यकारी पदाधिकारी
झारखण्ड कौशल विकास मिशन, राँची।

सेवा में ,

कुलपति
केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड
ब्रांबे, रांची

विषय :– झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी में Internship/Action Research (व्यावहारिक कार्य / लघु शोध कार्य) की योजना के संबंध में

महाशय,

झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी का गठन राज्य में कौशल विकास संबंधी गतिविधियों के समन्वय और नवाचार हेतु किया गया है। इस क्रम में कौशल विकास से संबंधित कार्यों पर प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को व्यावहारिक कार्य का अवसर देने का भी प्रावधान किया गया है। इसमें स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के किसी संबंधित विभाग / विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को चयनित विषय पर लघु–शोध कार्य अथवा एक्शन रिसर्च के माध्यम से रिपोर्ट / लघु–शोधपत्र / वृतचित्र प्रस्तुत करना होगा।

इसकी अवधि न्यूनतम एक माह तथा अधिकतम तीन माह की हो सकती है। रिपोर्ट / लघु–शोधपत्र प्रस्तुत किये जाने तथा उसकी स्वीकृति के उपरांत संबंधित विद्यार्थी को कार्य की प्रकृति के अनुरूप दस से पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह की दर से मासिक छात्रवृति प्रदान की जा सकती है। इसके तहत कौशल विकास से संबंधित पूर्व निर्धारित विशिष्ट बिन्दुओं पर एक्शन रिसर्च के माध्यम से समस्या का निदान करना अथवा किन्हीं विशिष्ट उपलब्धियों / प्रवृतियों या नवाचार संबंधी कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

अनुरोध है कि उक्त आलोक में योग्य एवं इच्छुक एक या दो विद्यार्थी द्वारा शोधकार्य हेतु प्रस्ताव (विषय के साथ) का आवेदन संलग्न प्रपत्र में भरकर तथा संस्थान के विभागाध्यक्ष से अनुमोदित कराकर उपलब्ध कराने की कृपा की जाये। प्राप्त आवेदनों पर झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी का अंतिम निर्णय मान्य होगा। शोधार्थी को मिशन के किसी एक गाइड के मार्गदर्शन में कार्य करना होगा तथा शोध के विषय एवं स्वरूप में बदलाव का अधिकार मिशन के पास सुरक्षित रहेगा। शोधार्थी को निधारित विषय पर गुणवत्तापूर्ण एवं मौलिक शोधकार्य करके निश्चित समय सीमा के अंदर एक प्रति मिशन कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। यह कार्य प्रिंट अथवा श्रव्य–दृश्य माध्यम में हो सकता है, किंतु किसी भी स्थिति में यह कार्य झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा सर्वसाधारण के लिए जारी किये जाने लायक पूर्ण तैयार स्वरूप में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य शोधार्थी की ही बौद्धिक संपदा होगी जिसका मिशन द्वारा किसी भी जनहित के कार्य में उपयोग किया जा सकता है।

इस योजना के संबंध में कोई चर्चा झारखंड कौशल विकास मिशन के संचार प्रमुख डॉ. विष्णु राजगढ़िया से मोबाइल संख्या 9431120500 अथवा ई–मेल vranchi@gmail.com पर की जा सकती है।

विश्वास भाजन

(Signature) 6-8-15

संलग्न – शोध प्रस्ताव संबंधी प्रारूप

मिशन निदेशक–सह–मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी,
झारखण्ड कौशल विकास मिशन,
राँची।

1993/9-9-15

R ... 04/09/15

... 9/9/15
Dean Head

On website. Adm. 9/9/15

Syst. Analyst.